2198/1

प्रेषक,                                                संख्या:–        /II–2014–03(14)/2013

डा0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग                                देहरादून : दिनांक 11 फरवरी, 2014

विषय : **जनपद ऊधमसिंहनगर के बाजपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मऊआखेड़ा गंज में निरीक्षण भवन के निर्माण की योजना की स्वीकृति एवं धनावंटन के सम्बन्ध में–राज्य सैक्टर।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपके पत्रसंख्या 2429/मु0अ0वि0/नियोजन/पी–27 (अन्य योजना) दि0–08.10.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान सं0 20 के राज्य सैक्टर में निरीक्षण भवन निर्माण मद के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के बाजपुर विधान सभा क्षेत्र के मऊआखेड़ा गंज में नये निरीक्षण भवन के निर्माण की योजना, जिसकी टी0ए0सी0 वित्त द्वारा संस्तुत कुल लागत ₹ 119.91 लाख (₹ 118.09 लाख सिविल कार्यों हेतु + ₹ 1.82 लाख अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों हेतु) है, की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत किये जाने एवं चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹ 50.00 लाख (₹ पचास लाख मात्र) व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

**(i)** कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

**(ii)** कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

**(iii)** कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

**(iv)** निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

**(v)** विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

**(vi)** स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एंव तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

**(vii)** मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219 (2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

**(viii)** आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

**(ix)** धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।

(x) जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

(xi) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड, राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(xii) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(xiii) त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च, 2014 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(xiv) धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–05–निरीक्षण भवनों का निर्माण–24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 463/XXVII(2)/2014 दि0 07 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

**संलग्न :– टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित आगणन की छायाप्रति।**

भवदीय,

(डा0 अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव।

**संख्या:– 3060 (1)/ II–2014–03(14)/2013, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निजी सचिव, सिंचाई मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय ।
5. आयुक्त, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
6. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
7. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
11. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12. मुख्य अभियन्ता (कुमॉऊ) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
13. कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
संयुक्त सचिव।